किस्म मुकदमा ......R.T.A. 53...... मुकदमा नम्बर ......110......... / 20 22

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
28/06/22	प्रार्थी/वादी/अपीलोट के वकील श्री ......[illegible]...... यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा ......53, 188 RT Act...... राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है । जो दर्ज रजिस्टर हो । विप्रार्थी / प्रतिवादी / रेरपोडेंट जरिये नोटिस / सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक ......18/07/22...... को पेश है । [signature]	
18/7/22	पत्रावली पेश हुई। वादीनी वकील उप०। प्रतिवादीगण के सम्मन तामील / अदम तामील अप्राप्त दस्तयाब होकर आइन्दा दिनांक 24/8/22 को पेश हो। [signature]	
16/8/22	पत्रावली पेश हुई। वादिनी वकील उप०। वादी वकील ने प्रार्थना पत्र बाबत पत्रावली तलब करने वास्ते पेश कर निवेदन किया कि पत्रावली आज पेशी तारीख पर ली जावें। वादिनी वकील के निवेदन को न्याय हित में [illegible] पत्रावली आज पेशी तारीख पर [illegible] ने प्रार्थना पत्र दावा डिक्री करते बाबत पेश किया जिसे शामिल पत्रावली किया जाता है। ~~[illegible]~~ वादिनी वकील ने निवेदन किया कि उक्त अवधि में हम पक्षकारों के मध्य लोक अदालत की भावना	[signature] नि. भती [thumb impression] 16.8.22

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramji Bhai Kalbi
Date: 2022.08.27 15:10:08 IST
Reason: SelfAttested

से वाद ग्रस्त आराजी में आपसी सह मति से राजीनामा हो गया है। अत उक्त आराजी का हमारे विवाद नहीं रहने से मैं वादिया पत्रावली में आगे कोई कार्यवाही नहीं चाहती हूँ। जिससे वाद डिक्री फरमाया जावें।

अतः प्रार्थना पत्र को न्याय हित में स्वीकार किया जाकर वादीनी के वाद को डिक्री किया जाता है पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। नम्बर से कम हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramji Bhai Kalbi
Date: 2022.08.27 15:10:08 IST
Reason: SelfAttested